

ढलान के आड़े बुवाई करें

खेती री बातां



बीजोपचार अवश्य करें।

वर्ष-16 अंक-6 मासिक पत्रिका आर.एन.आई - 70296/98 5 जून 2013 वार्षिक शुल्क -12 रुपये

बीज रथों के साथ खरीफ अभियान-2013 को हरी झण्डी



जयपुर 27 मई। कृषि ज्ञान एवं आदान शिविर खरीफ अभियान-2013 के शुभारम्भ अवसर पर कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा पर निदेशक,

बताया कि राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों पर 27 मई से 15 जून के मध्य शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

खरीफ अभियान में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ

कृषि विभाग

- ★ वर्षा जल के संग्रहण एवं संरक्षण तथा जल के कुशलतम उपयोग के साधनों की जानकारी।
- ★ वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, पोषण सुरक्षा के लिए सघन कदन्न संवर्धन कार्यक्रम के बारे में जानकारी तथा चयनित कृषकों के लाभार्थी कार्ड बनाना।
- ★ कुपोषित क्षेत्रों में पोषणयुक्त खाद्य उपलब्ध कराने के लिए न्यूट्री-फार्मस पायलेट परियोजना की जानकारी।
- ★ जैविक खेती की जानकारी।
- ★ मृदा नमूना संग्रहण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण।
- ★ विभाग द्वारा वितरित मिनिकिट से बीज उत्पादन की जानकारी।
- ★ अभियान में कृषि संसाधनों यथा फव्वारा, ड्रिप, पाइपलाइन, पौध संरक्षण उपकरण, कृषि यंत्र, जिप्सम वितरण, बायो-फर्टिलाइजर वितरण, फारमर्स फील्ड स्कूल आधारित फसल प्रदर्शन, फारमर्स फील्ड स्कूल आधारित आई.पी.एम. प्रदर्शन आदि पर अनुदान तथा बीज गांव योजना/बीज उत्पादक पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।
- ★ मौसम आधारित फसल बीमा एवं

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जानकारी।

उद्यान विभाग

- ★ अभियान में नए बगीचों की स्थापना हेतु फलदार पौधे, फूल वाले पौधों के प्रदर्शन आदि के लिए प्रार्थना पत्र उपलब्ध करवाया जाकर निस्तारण सुनिश्चित करवाया जायेगा।
- ★ राष्ट्रीय माइक्रो इरिगेशन मिशन अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर व सौर ऊर्जा आधारित पम्प संयंत्रों पर देय अनुदान व तकनीकी जानकारी दी जायेगी तथा प्रार्थना पत्र तैयार करवाकर मौके पर ही यथाशीघ्र अनुदान/स्वीकृति उपलब्ध करवाई जायेगी।
- ★ राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत चयनित जिलों में बगीचों की स्थापना, नर्सरी, जल संग्रहण ढाँचों, वर्मी कम्पोस्ट ईकाई की स्थापना, फसलोत्तर प्रबंधन हेतु प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए दी जाने वाली सहायता एवं प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी तथा जो जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत चयनित नहीं हैं, उन जिलों में बागवानी कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कराये जायेंगे।
- ★ स्वरोजगार हेतु मधुमक्खी पालन,

इन शिविरों में कृषि, उद्यान, बीज निगम, पशुपालन एवं सहकारिता विभागों के अधिकारी/कर्मचारी ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में ग्रामीण कृषकों से रुबरु होंगे तथा संबंधित विभाग की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करवायेंगे। इस अवसर पर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री एच. एल. मीणा, श्री पी.एन. कटियार, बीज निगम के महाप्रबन्धक श्री सुबेसिंह यादव, श्याम के निदेशक श्री बी.एल. मीणा, क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान डॉ० स्वरूप सिंह व विभाग के कई अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

मशरूम उत्पादन, ग्रीन हाउस, नर्सरी स्थापना आदि के लिए युवाओं को प्रेरित किया जायेगा।

★ राष्ट्रीय बम्बू मिशन में चयनित जिलों में बाँस के पौधे लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करने तथा प्रार्थना पत्र तैयार करवाये जायेंगे।

राजस्थान राज्य बीज निगम

- ★ बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने की योजना, उन्नत व प्रमाणित बीजों का महत्व, बीजोपचार आदि की जानकारी तथा बीज उत्पादकों का पंजीकरण।
- ★ बीज रथ द्वारा खरीफ फसलों के उन्नत बीजों का विक्रय।

कृषि विपणन विभाग एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

- ★ कृषि उपज मंडियों में दी जाने वाली सुविधाएं, फसलोत्तर प्रबंधन, भण्डारण एवं निर्यात हेतु उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी।
- ★ राजीव गांधी किसान कल्याण योजना से लाभान्वित कृषकों को शिविर में सहायता राशि के चैक वितरण।

पशुपालन विभाग

- ★ शिविर में चयनित 10 बी.पी.एल. एवं 5 प्रगतिशील पशुपालकों को निःशुल्क औषधि किट का वितरण।
- ★ पशुओं का टीकाकरण तथा

खरीफ-2013 हेतु प्रमाणित बीजों की विक्रय दरें घोषित

राज्य बीज निगम ने खरीफ-2013 में सामान्य वितरण हेतु प्रमाणित बीजों की विक्रय दरें घोषित की हैं :-

क्र. सं.	फसल	किस्म	विक्रय मूल्य (रु./क्वि.)
1.	बाजरा	एच.एच.बी.-67 (इम्पूड) सी/ओ.	7000
		आई.सी.टी.पी.-8203	3400
2.	मक्का	एच.क्यू.पी.एम.-1	4500
		फेम-2	2800
3.	मूँगफली	जी.जी.-20, एच.एन.जी.-10, प्रकाश	6000
		आर.जी.-382	8000
4.	कपास	देशी एवं अमेरिकन	5500
5.	तिल	आर.टी.-46/127, जी-2, जी-3	14000
6.	मक्का	नवजोत	2200
7.	मोट	आर.एम.ओ.-40 / 435, काजरी-2	7500
8.	ग्वार	सभी किस्में (एम.-83 के अलावा)	17500
9.	अरहर	मानक	4500
		पूसा-992	5000
10.	धान	पी.बी.-1	3500
11.	मूँग	एस.एम.एल.-668, आर.एम.जी.-492, जी.एम.-4, आर.एम.जी.-268/62 / 344, के-851, पी.डी.एम.-139	7200
12.	उड़द	आई.पी.यू.-94-1, टी-9, टी.ए.यू.-2, आजाद-3	6000
13.	चवैला	आर.सी.-19	5500
14.	सोयाबीन	सभी प्रमाणित एवं टी/एल किस्में	5000

बधिया-करण।

- ★ स्वरोजगार एवं आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/ उन्नत पशुपालन संबंधी जानकारी।

सहकारिता विभाग

- ★ ऋण योजनाओं की जानकारी एवं ऋण आवेदन पत्र तैयार करना।
- ★ जिन कृषकों के ऋण माफ किये गये हैं उनके भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाना।
- ★ ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से शिविर में कृषि आदानों यथा बीज एवं उर्वरकों का कृषकों को विक्रय।


सूचना

खेती-बाड़ी कार्यक्रम गुरुवार सायं 7.30 बजे जयपुर दूरदर्शन के साथ अब प्रत्येक शुक्रवार को सायं 6.30 बजे जन टी.वी. पर भी देखें।

E mail : kheti_ri_batan@yahoo.co.in


इस अंक में...

www.krishi.rajasthan.gov.in



▶ खरीफ फसलों की उन्नत कृषि विधियाँ

पृष्ठ 2



▶ जून माह के कृषि कार्य परख आजमा कर तो देखिये दानेदार उर्वरकों.. पृष्ठ 3



▶ जलवायु के अनुसार करें फलदार पौधों का चुनाव वर्तमान समय की पुकार...

पृष्ठ 4

खरीफ फसलों की उन्नत कृषि विधियाँ

फसल	किस्म	पकाव अवधि (दिनों में)	उपज (क्विं/ है.)	बीज दर (कि.ग्रा./ है.)	बीज उपचार	बुवाई पूर्व उर्वरक (कि.ग्रा. प्रति हैक्टर) (अ या 'ब' में से किसी एक का उपयोग करें)		खड़ी फसल में यूरिया (कि. ग्रा./ है.)	खरपतवार नियन्त्रण (दवा की मात्रा/ है.)	पौध संरक्षण (दवा की मात्रा/ है.)
						'अ' डी.ए.पी.+ यूरिया	'ब' एस.एस.पी. +यूरिया			
बाजरा	आर.एच.बी.-177	74-75	18-20	4	3 ग्राम थायरम प्रति कि.ग्रा. बीज से उपचारित करें व अन्त में एजेटोबैक्टर एवं पी.एस.बी. कल्चर के 3 पैकेट प्रति है. के हिसाब से बीज उपचार करें	65+40 (जोधपुर व जयपुर खण्ड)	200+65	65	बुवाई के तुरन्त बाद अथवा अंकुरण से पहले आधा कि.ग्रा. एट्राजिन सक्रिय तत्व स्प्रे करें। रुखड़ी से बचाव हेतु-ड्राई कि. ग्रा. 2.4-डी सोडियम लवण +500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें।	अरगत रोग से बचाव हेतु 10 लीटर पानी में 2 किलो नमक डालकर बीज को 5 मिनट तक डुबोयें। अरगत व तुलासिता रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़ कर जला दें
	एच.एच.बी.67-2	62-65	22-25							
	आई.सी.टी.पी.-8203	70-75	15-20							
	आर.एच.बी.-121	75-78	22-25			65+75 (भरतपुर व गंगानगर खण्ड)	200+100	100		
	आर.एच.बी.-173	78-80	30-33							
	आर.एच.बी.-154	72-76	23-29							
जी.एच.बी.-538	70-75	24-26								
एच.एच.बी.-67 (इम्पूल्ड)	65-70	15-20								
ज्वार	एस.पी.बी.-245 व 475	100-130	40-50	10	3 ग्राम थायरम प्रति कि.ग्रा. बीज से उपचारित करें व अन्त में एजेटोबैक्टर एवं पी. एस. बी.कल्चर के 3 पैकेट प्रति है. के हिसाब से बीज उपचार करें	90+50	250+90	90	बुवाई के तुरन्त बाद अथवा अंकुरण से पहले आधा कि. ग्रा. एट्राजिन सक्रिय तत्व 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।	तना छेदक कीट से बचाव हेतु बुवाई के 4 सप्ताह बाद प्रकाश-पाश का प्रयोग करें या क्यूनालफॉस 5 प्रतिशत कण 8 से 10 कि.ग्रा./ है. की दर से पौधों के पोटों में डालें
	एस.पी.बी.-96	85-90	30-40							
	प्रताप ज्वार-1430	90-95	30-35							
	सी.एस.बी.-17	85-90	25-30							
	सी.एस.एच.-13	105-110	45-55							
	सी.एस.बी.-15	105-110	25-30							
एस.पी.बी.-837	85-90	35-40								
मक्का	माही धवल	95-100	35-45	20-25	3 ग्राम थायरम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करें। अन्त में एजेटोबैक्टर एवं पी.एस.बी. कल्चर प्रत्येक 3 पैकेट की दर से उपचार करें	65+75	200+100	100	बुवाई के तुरन्त बाद अथवा अंकुरण से पहले आधा कि. ग्रा. एट्राजिन सक्रिय तत्व + 1.5 कि.ग्रा. एलाक्लोर को 500-600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें	तना छेदक कीट से बचाव हेतु बुवाई के 4 सप्ताह बाद फॉरेट 10 प्रतिशत कण या कार्बोफ्यूरोन 3 प्रतिशत कण 7-8 कि.ग्रा./ है. की दर से पौधों के पोटों में डालें
	माही कचन	75-80	25-30							
	पी.ई.एच.एम.-2 (फेम-2)	80-85	33-40							
	पी.ई.एच.एम.-1 (फेम-1)	80-85	28-44							
	एच.क्यू.पी.एम.-1	100-110	45-55							
	प्रताप मक्का-3	75-78	40-45							
प्रताप मक्का-5	85-90	45-50								
प्रताप हाईब्रिड मक्का-2	80-85	40-50								
नवजोत	80-85	30-35								
ग्वार	आर.जी.सी.-936	80-90	8-12	15-20	250 पी.पी.एम. एग्रीमाइसीन या 100 पी. पी. एम. स्ट्रेप्टो-साइक्लीन के घोल में 5 घण्टे भिगोयें। अन्त में राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करें	80+0	250+20	-	बुवाई के 25-30 दिन बाद निराई-गुड़ाई करें	मोयला, सफेद मक्खी व तेला कीट के नियन्त्रण के लिए 1 लीटर डायमिथोएट या सवा लीटर मैलाथियॉन का स्प्रे करें। बैक्टीरियल ब्लाइट रोग के नियन्त्रण के लिए 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। छाछया रोग में 25 कि.ग्रा. गन्धक चूर्ण या 1 लीटर कैराथियॉन का भुरकाव / छिड़काव करें
	आर.जी.सी.-1002									
	आर.जी.सी.-1003									
	आर. जी. सी.-1017	92-99	10-14							
	आर.जी.सी.-1031 (ग्वार क्रांति)	110-114	11-16							
	आर.जी.सी.-1038 (ग्वार करन)	100-105	11-22							
आर.जी.सी.-1055 (ग्वार उदय)	90-100	11-22								
आर.जी.सी.-1066 (ग्वार लाठी)	90-100	11-16								
मूंगफली	आर.एस.बी.-87, आर.जी.-141	110-130	13-16	60-80 (फैलने वाली किस्म)	कॉलर रॉट रोग से बचाव के लिए प्रति कि.ग्रा. बीज को क्रमशः थायरम (1.5ग्राम), ट्राइकोडर्मा(10ग्राम) व राइजो-बियम कल्चर (3पैकेट) से उपचारित करें। सफेद लट की रोकथाम के लिये 40 कि.ग्रा. बीज को एक लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ई. सी. से उपचारित करें	130+0	375+35	-	बुवाई पूर्व एक कि.ग्रा. फ्लू-क्लोरेलिन सक्रिय तत्व या अंकुरण पूर्व एक किलो मेटा-क्लोर या पेन्डीमेथेलिन सक्रिय तत्व को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें	टिका रोग में मेन्कोजेब 1-1.5 कि.ग्रा. या कार्बेन्डेजिम 250 ग्राम दवा का स्प्रे करें। दीमक से बचाव के लिए खड़ी फसल में 4 लीटर क्लोरोपायरीफॉस दवा सिंचाई जल के साथ या 50-60 कि.ग्रा. बजरी में मिलाकर भुरकाव कर सिंचाई करें
	टी. जी.-37 ए	105-110	20-25							
	जी.जी.-20	115-120	25-30							
	टी.बी.जी.-39	115-120	25-30							
	एच.एन.जी.-10	125-130	20-25							
	जी.जी.-7	90-100	20-25							
प्रताप मूंगफली-5	95-97	16-22								
आर.जी.-382 (दुर्गा)	128-153	22-25	100 (सुमक किस्म)							
तिल	आर.टी.-351	80-85	8-10	2.5	3 ग्राम थायरम या कैप्टान प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करें। जीवाणु अंगमारी रोग से बचाव के लिए प्रति कि.ग्रा. बीज को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का 10 लीटर पानी के घोल में 2 घण्टे डुबोकर बीजो-पचार करें	50+0	150+25	25	बुवाई के 25-30 दिन बाद निराई-गुड़ाई करें	गॉल मक्खी, फड़का, हॉकमॉथ कीट से बचाव के लिए क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत या मिथाइल पैराथियॉन 5 प्रतिशत 20 कि.ग्रा. का भुरकाव करें
	आर.टी.-125 / 127	75-85	9-12							
	प्रताप (शाखा रहित), सी-50	110-115	4-5							
	आर.टी.-346 (चेतक)	83	7-9							
मूंग	एस. एम. एल.-668	60-65	7-10	15-20	झुलसा रोग की रोकथाम के लिए 1 ग्राम बाविस्टीन प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उप-चारित करें। अन्त में राइजोबियम के साथ पी.एस. बी. कल्चर से प्रत्येक का 3 पैकेट प्रति हैक्टर की दर से बीजोपचार करें	90+10	250+45	-	पेन्डीमिथेलिन 1 कि.ग्रा. को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दो निराई 30 व 45 दिन पर करें	कात्ता कीट से बचाव हेतु मिथाइल पैराथियॉन 2 प्रतिशत चूर्ण 25 कि.ग्रा. / हैक्टर या क्लोरोपायरीफॉस 1 लीटर या मिथाइल पैराथियॉन 750 मि.ली या क्यूनालफॉस 625 मि. ली को 250-300 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें
	आर.एम.जी.-268	65-70	10-12							
	आर.एम.जी.-344	60-70	14-16							
	एम.यू.एम.-2	70-75	15-16							
गंगा 1, आर.एम.जी.-492										
उड़द	पन्त यू-19	70-80	10-12	15	बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति कि.ग्रा. राइजोबियम व पी.एस.बी. कल्चर 3 पैकेट प्रति है. की दर से बीजो-पचार करें	90+10	250+45	-	1 कि.ग्रा. ट्राईफ्लुरेलिन या पेन्डीमिथेलिन या 2 लीटर एलाक्लोर (जोधपुर खण्ड) बुवाई के दूसरे दिन प्रयोग करें।	मोयला, हरातेला, सफेद मक्खी कीट के नियन्त्रण हेतु डायमिथोएट 1 लीटर का छिड़काव करें
	आर.बी.यू.-38 (बरखा)									
अरहर	यू.पी.एस.-120, मानक	120-140	10-18	20 (मिलवां फसल में 7 किलो)	3 ग्राम थायरम प्रति कि.ग्रा. बीज तथा राइजोबियम के साथ पी.एस.बी. कल्चर प्रत्येक का 3 पैकेट प्रति है. की दर से बीजोपचार करें	130+0	375+45	-	अंकुरण पूर्व 2 लीटर एलाक्लोर (कोटा खण्ड) बुवाई पूर्व पौन कि.ग्रा. फ्लूक्लोरेलिन (जयपुर खण्ड) का छिड़काव करें	फली छेदक कीट से बचाव हेतु क्यूनालफॉस 2 लीटर या मैलाथियॉन 125 लीटर या कार्बेरील चूर्ण 2.5 कि.ग्रा./ है. का छिड़काव करें
	आई.सी.पी.एल.-151	120-140	12-20							
	आई.सी.पी.एल.-87	140-150	15-20							
	पूसा-992	150-160	14-18							
मोठ	सी.जेड.एम.-2	65-67	8-10	10-15	जीवाणु पत्ती धब्बा रोग के नियन्त्रण हेतु 1 ग्राम स्ट्रेप्टो-साइक्लिन 10 लीटर पानी में तथा अन्त में राइजोबियम के साथ पी.एस.बी. कल्चर प्रत्येक का 3 पैकेट प्रति है. की दर से बीजोपचार करें	66+0	190+25	-	अंकुरण पूर्व 2 लीटर एलाक्लोर (कोटा खण्ड) बुवाई पूर्व पौन कि.ग्रा. फ्लूक्लोरेलिन (जयपुर खण्ड) का छिड़काव करें	घिल्ली जीवाणु रोग- स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम 10 लीटर पानी एवं 20 ग्राम ताम्रयुक्त कवकनाशी का 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें
	आर.एम.ओ.-40	62-65	6-9							
	आर.एम.ओ.-257									
	आर.एम.ओ.-225									
आर.एम.ओ.-435										
अरण्डी	जी.सी.एच.-4	210-240	12-18	12-15	बुवाई पूर्व कार्बेन्डेजिम 2 ग्राम प्रति कि.ग्रा.से उप-चारित करें	50+90	250+90	90	1 कि.ग्रा. पेन्डीमिथेलिन 600 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के 2-3 दिन बाद छिड़काव करें	पत्ती धब्बा एवं झुलसा रोग के नियन्त्रण हेतु 2 कि.ग्रा. मैन्कोजेब का घोल बनाकर छिड़काव करें
	जी.सी.एच.-5	200-230	30-35							
	आर.सी.एच.-1	210-235	32-36							
	जी.सी.एस.-7	210-235	20-23							
सोयाबीन	पी.के.-472	100-115	20-25	80	3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कार्बेन्डेजिम व अन्त में राइजोबियम कल्चर 3 पैकेट से उपचारित करें	90+10	250+45	-	इमिजाथाईपर 100 ग्राम बुवाई के 15-20 दिन की अवस्था पर 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें	गर्डल बीटल कीट के नियन्त्रण के लिए डाईमिथोएट या मोनोक्रोटोफॉस 1 लीटर दवा। जीवाणु पत्ती धब्बा रोग में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम का 10 लीटर पानी या 30 ग्राम ताम्रयुक्त कवकनाशी का 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें
	जे.एस.-335	95-100	25-30							
	जे.एस.-93-05	85-90	25-30							
	एन.आर.सी.-37	90-95	25-30							
प्रताप राज सोया-24	95-100	25-30								

जून माह में किए जाने वाले कृषि कार्य

फसलोत्पादन

- ◆ सभी फसलों में **मिट्टी की जाँच** रिपोर्ट के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करें।
- ◆ **क्षारीय भूमि** सुधार के लिए सिफारिश के अनुसार जिप्सम का उपयोग करें।
- ◆ **खरीफ फसलों** जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन व खरीफ दालें आदि की बुवाई हेतु खेत की तैयारी व आदान की व्यवस्था करें एवं वर्षा आगमन पर बुवाई करें।
- ◆ **कपास** में पहली सिंचाई बुवाई के 20-30 दिन बाद करें, जिससे जड़ें गहरी जा सकें।
- ◆ **कपास** में सफेद मक्खी, ग्रे-वीविल, जैसिड, थ्रिप्स आदि कीटों के नियंत्रण के लिए कीड़े दिखाई देने पर डाईमिथोएट 30 ई.सी. दवा 1 लीटर प्रति हैक्टर या फार्मोथियोन 25 ई.सी. दवा 1 लीटर प्रति हैक्टर या मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. दवा 1 लीटर का (400-500 लीटर पानी में) प्रति हैक्टर छिड़काव करें।

बागवानी

- ◆ **आम, अमरूद, अनार व नींबू** वर्गीय फसलों में खाद व

उर्वरक दें।

- ◆ **नींबू** वर्गीय फलदार पौधों में फल गिरने की समस्या की रोकथाम हेतु प्लेनोफिक्स हारमोन का 3 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- ◆ **नींबू** में कैंकर रोग से बचाव हेतु बोर्डो मिश्रण या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा का 4-5 लीटर पानी में घोल बनाकर 20-25 दिनों के अंतर से छिड़काव करें।

सब्जियाँ

- ◆ **कुष्माण्ड कुल** की सब्जियों में फल मक्खी कीट की रोकथाम हेतु मेलाथियोन 50 ई.सी. 1.25 लीटर दवा प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें तथा माइट्स (बरूथि कीट) की रोकथाम हेतु फॉर्मोथियोन 25 ई.सी. या मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. दवा 1 लीटर प्रति हैक्टर या डायकोफॉल 18.5 ई.सी. दवा 1.25 लीटर का प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें।



- ◆ **वर्षा ऋतु** की फसल के लिए टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि सब्जियों को बीज की नर्सरी में बुवाई करें।

पुष्पोत्पादन

- ◆ वर्षा कालीन मौसमी फूल जैसे गैन्दा, बालसम, जीनिया, सूरजमुखी, कोक्स-कॉम्ब आदि फूलों की नर्सरी तैयार करें। नर्सरी में झारे से नियमित सिंचाई करते रहें तथा खरपतवार निकालें।



पशुपालन

- ◆ पशुओं को गर्मी की तीव्रता को देखते हुए चराई के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तथा सायं के समय 4 से 7 बजे तक भेजें।
- ◆ **सूखे खेत** की कम विकसित हुई ज्वार चरी न खिलायें अन्यथा पशुओं में आफरा आने व जहर फैलने का डर रहता है।

ज्ञान-विज्ञान

दानेदार उर्वरकों को आवरित कर दक्षता बढ़ायें
नत्रजनीय उर्वरक दक्षता सुधार : उपयोग करें।

नत्रजनीय उर्वरकों को मृदा में देने के पश्चात् अमोनिककरण एवं नाइट्रीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से नत्रजन नाइट्रेट के रूप में रूपान्तरित होकर पौधों को उपलब्ध होती है जिसे पौधा ग्रहण कर सकता है। अधिकांश स्थिति में नत्रजनधारी उर्वरक (जैसे यूरिया) से उपलब्ध नाइट्रेट का पौधे सम्पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाते हैं। नाइट्रेट, अमोनिया की तरह मृदाकण पर स्थापित नहीं हो सकती है तथा पानी में घुल कर मृदा में नीचे गहराई में जाकर पौधों की पहुँच से दूर हो जाती है। यदि नाइट्रीकरण प्रक्रिया को धीमे कर दिया जाये तो इन उर्वरकों की दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ नाइट्रेट-नाइट्रोजन के नुकसान को बचाया जा सकता है। इस हेतु निम्न क्रिया अपनायें :-

- ◆ 100 किलोग्राम यूरिया को आधा किलोग्राम कोलतार के एक लीटर केरोसिन में बनाये गये घोल से उपचारित करें। यूरिया के कोलतार चढ़े कणों पर 20 किलोग्राम नीम/महुआ खली के महीन पाउडर का भुरकाव कर एक जैसी परत चढ़ावें तथा परत चढ़े यूरिया का फसलों में

परख

मई, 2013 के अंक में प्रकाशित आलेख में से दो प्रश्न पूछे गये थे। सही उत्तर भेजने वाले लॉटरी द्वारा चुने गये दो विजेता कृषकों के नाम हैं-

1. श्री राजेश पुष्करना
पुत्र श्री प्रेमशंकर पुष्करना
ग्रा0 इन्टाली, वाया-फतहनगर,
तह0 मावली, जिला उदयपुर,
पिन नं. 313205
2. श्री कजोडीराम
पुत्र श्री छोटेलाल मेघवाल
ग्रा0 पो0 बड़ौदामेव,
तह0 लक्ष्मणगढ़,
जिला अलवर, पिन नं. 301021

इस माह के प्रश्न हैं -

- प्र.1 राज्य में "खरीफ अभियान-2013" कब से कब तक चलाया जा रहा है ?
प्र.2 अनार की किन्हीं दो उन्नत किस्मों के नाम बताइये ?

तो आप भी उठाइये पैन व पोस्ट कार्ड और हमें लिख भेजिये इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब -
उप निदेशक, कृषि (सूचना), कमरा नम्बर 118, पंत कृषि भवन, जयपुर-302005

आजमा कर तो देखिये

धोखाधड़ी से बचने के लिये बीज, उर्वरक व दवा खरीदते समय **पक्का बिल जरूर लें।** बिल न देने पर निकट के कृषि कार्यालय में शिकायत करें।




धोखाधड़ी से बचें।

फसल को रोगों से बचाने के लिए 4-8 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 3 ग्राम थाइरम या 2 ग्राम कार्बेण्डेजिम प्रति किलो बीज की दर से **बीजोपचार करें।** साथ ही जैव-खाद एजेटोबैक्टर (अनाज वाली फसलों में) व राइजोबियम (दलहनी फसलों में) एवं पी.एस.बी. (सभी फसलों में) से बीजोपचार कर उपज में वृद्धि पायें।



कम खर्च में निरोगी फसल पायें।

मिट्टी की जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही उर्वरक की मात्रा काम में लें। तिलहनी एवं दलहनी फसलों में डी.ए.पी. के स्थान पर **सिंगल सुपर फॉस्फेट** काम में लें।



पैसा बचायें, गुणवत्तायुक्त अधिक उपज पायें।

तिलहनी व दलहनी फसलों में अन्तिम जुताई के समय 250 किलोग्राम **जिप्सम** प्रति हैक्टर डालें।



भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ायें।

ऐसे मंगवायें "खेती की बातां"

घर बैठे वर्षभर खेती की बातां अखबार मंगवाने के लिये अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें या आहरण वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय कमरा नं. 250, पंत कृषि भवन, जयपुर के नाम 12/- रुपये का मनीऑर्डर भेजें। स्वयं का साफ-साफ डाक का पूरा पता, पिन कोड नंबर व मोबाइल नंबर अवश्य लिखें।

डाक पं.सं. RJ/JPC/M-16/2012-14

आर.एन.आई - 70296/98



प्रेषक-

उप निदेशक कृषि (सूचना)

118, पंत कृषि भवन,

जयपुर-302005

प्रेषित-

कृषि जलवायु के अनुसार करें फलदार पौधों का चुनाव

गुणवत्तायुक्त अधिक उपज प्राप्त करने के लिए विभिन्न जिलों की जलवायु के अनुसार फलदार पौधों एवं उनकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिये। **कृषि जलवायु अनुसार फलदार पौधे**

जलवायु क्षेत्र	जिले	उपयुक्त फलदार पौधे
1-ए	बीकानेर जोधपुर घाड़मेर	घेर आँवला. नींबू. अनार
1-बी	श्रीगंगानगर. हनुमानगढ़	घेर किन्नो. आँवला. नींबू. अनार. माल्टा
1-सी	जैसलमेर. बीकानेर एवं चूरू का भाग	घेर आँवला. नींबू
2-ए	नागौर चूरू झुंझुनू सीकर	घेर आँवला. नींबू. अनार. घील
2-बी	पाली. जालौर. सिरोही	घेर नींबू. अनार.
3-ए	जयपुर. अजमेर टोंक टाँसा	घेर आँवला. नींबू. अनार. अमरूद. पपीता
3-बी	अलवर. भरतपुर घाँसपुर. समाधोपुर	घेर आम. नींबू. मौसमी. अमरूद. पपीता
4-ए	उदयपुर. भीलवाड़ा. चित्तौड़ राजसमंद	घील. आँवला. नींबू. अनार. अमरूद. आम. सीताफल
4-बी	दूंगरपुर. बांसवाड़ा. प्रतापगढ़	नींबू. पपीता. केला. आम. घेर
5	कोटा. बूंदी. झालावाड़ बांस	आँवला. अमरूद. आम. नींबू. संतरा

फलों की उन्नत किस्में

क्र.सं.	फल	किस्म
1.	आम	सरोली. केसर. लंगड़ा. टाशहरी. आमपाली. चौसा. फजली
2.	माल्टा. मौसमी	हेमलिन. मौसमी. पाईनएप्पल. जाफा. रेड ब्लड माल्टा. वेलेन्सियालेट. वाशिंगटन नेवल
3.	सन्तरा	किन्नो. नागपुरी
4.	नींबू	कागजी. घारामासी
5.	अमरूद	इलाहाबादी. सफेदा. लखनऊ-49 (सरदार)
6.	चीकू	काली पत्ती. क्रिकेटघाल
7.	अंगूर	परलेट. ब्यूटी. सीडलेस. थोम्पसन. सीडलेस
8.	घेर	गोला (अर्गेंटी). सेव व मुण्डिया (मध्यम). उमरान (पछेती)
9.	अनार	सिन्दुरी. मूदुला. अरक्ता
10.	पपीता	कुर्गहनी. ड्यू. पूसा. डेलिसियस. पूसा नन्हा. सी.ओ.2. ताईवान. रेडलेडी -786
11.	आँवला	घनारसी. एन.ए-7. कृष्णा. फ्रान्सिस. चकैया. आनन्द-1. एनए-10. कंचन
12.	केला	बसराई
13.	शहतूत	मोरस. अलबा. मोरस. निग्रा. मोरस. रूद्रा

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कृषकों को देय सुविधाएं

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत	देय सुविधा
1. पौध रोपण सामग्री का उत्पादन			
i.	मॉडल नर्सरी का विकास (2 से 4 है.)	6.25 लाख प्रति है. इकाई	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 12.50 लाख. अधिकतम 4 है. तक (क्रेडिट लिंकड बैंक एन्डेड)
ii.	छोटी नर्सरी का विकास (1 है.)	6.25 लाख प्रति है. इकाई	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 3.125 लाख (क्रेडिट लिंकड बैंक एन्डेड)
iii.	बीज हाँचागत विकास	प्रोजेक्ट अनुसार	प्रोजेक्ट की कीमत की 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 100 लाख (भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जाते हैं) (क्रेडिट लिंकड बैंक एन्डेड)
2. फल बगीचों की स्थापना			
i.	सघन फलोद्यान की स्थापना	रूपये 80000/- प्रति है.	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 40000/- प्रति है. (तीन वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में) (एक कृषक को अधिकतम 4 है. हेतु अनुदान देय)
ii.	सामान्य फलोद्यान की स्थापना	अधिकतम रूपये 40000/- प्रति है.	लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 30000/- प्रति है. (तीन वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में) (एक कृषक को अधिकतम 4 है. हेतु अनुदान देय)

नोट:- जो जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत चयनित नहीं हैं उन जिलों में यह सुविधाएं/अनुदान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत दी जाती है।

पानी की कमी व अधिकता फसल की सभी अवस्थाओं में पौधों को नुकसान पहुँचा सकती है।

“समन्वित कृषि” से बदली तकदीर

(सफलता की कहानी)



अक्सर कहा जाता है कि समय की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलने वालों को ही सफलता नसीब होती है।

इस बात को अपने जीवन का ध्येय बनाकर ऐसा ही कुछ खेती-बाड़ी में किया उदयपुर जिले की ऋषभदेव तहसील से 17 कि.मी. दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित गाँव अमरपुरा के प्रगतिशील किसान श्री रूपाजी पुत्र श्री दलाजी मीणा ने। कृषक रूपाजी के पास लगभग 10 बीघा जमीन है, जिसमें से 2 बीघा चारागाह भूमि है। रूपाजी पहले परम्परागत तरीके से ही खेती करते थे, जो भी खेती से मिलता उससे ही परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन समय की माँग और बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए कृषक ने कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के सहयोग से खेती, पशुपालन, बगीचा एवं सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर “समन्वित कृषि पद्धति” अपनाकर



वैज्ञानिक तरीके से खेती-बाड़ी एवं पशुपालन करना शुरू किया। सबसे पहले रूपाजी ने सरकारी अनुदान पर 30 सिंचाई पाईप खरीदे। जिसके द्वारा इनकी असिंचित जमीन सिंचित हो गई, क्योंकि जमीन ऊँचाई पर और कुआँ निचले हिस्से में है। खेती से जुड़ने के उपरान्त कृषि विज्ञान केन्द्र, उदयपुर के वैज्ञानिकों से सम्पर्क कर रूपाजी ने सब्जी, फसलों की ओर कदम बढ़ाया। सब्जी उत्पादन की शुरुआत 1 बीघा जमीन से की। वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से भिण्डी, ग्वार, टमाटर, प्याज और मिर्च की खेती की। इसके विपणन



से करीब 96 हजार रुपये की आमदनी हुई। इसके बाद पपीता का बगीचा लगाया, इससे रूपाजी को 35 हजार रुपये की आमदनी में इजाफा हुआ, साथ ही कृषि उपकरणों की भी खरीद कृषि परियोजना से की। परम्परागत फसलों में गेहूँ एवं मक्का के स्वयं के घर के बीज के उपयोग से पैदावर 2-3 किंव. प्रति बीघा होती थी, उन्ही के प्रमाणित बीजों के उपयोग से इन फसलों की 6-8 किंव. प्रति बीघा उपज प्राप्त हुई। इससे अब उन्हें वर्ष में 40,000/- रुपये की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होने लगी। इसके साथ-साथ उन्होंने बकरीपालन, मुर्गीपालन, और



मछलीपालन भी शुरू किया। जिससे उन्हें 28,000 रु. की प्रतिवर्ष अतिरिक्त आमदनी मिल रही है। एक साल में 1,64,000 रुपये की बचत हो जाती है। इसके अलावा रूपाजी अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं और इन्हीं पैसों से 2 बीघा जमीन खरीद कर आमदनी में ओर बढ़ोत्तरी की है, साथ ही उन्होंने अपने परिवार का जीवन बीमा भी करवाया है। उन्होंने अपने अनुभव सांझा करते हुए कहा कि “वैज्ञानिक तरीके से समन्वित कृषि की जाये तो इसके बराबर कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है”।



स्वत्वाधिकारी कृषि विभाग राजस्थान सरकार के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक आयुक्त कृषि, कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा कृषि सूचना मुद्रणालय जयपुर से मुद्रित और पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर से प्रकाशित। प्रकाशक - अनिल कुमार चपलोट सम्पादक - भंवरा राम कड़वा सह सम्पादक - पूनम चौधरी परामर्श - शिवजी राम कटारिया डिजाइनर - आर. मैसी